

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :-एफ.3(ख)(1) (सेवानिवृति)/अलेसे-11/64

दिनांक : 10.1.2023

आदेश संख्या 669/2022-23

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प1(6)वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अन्तर्गत निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से (मध्याह्न पश्चात) राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.सं.	लिंक नम्बर	मेरिट नम्बर	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (सर्वश्री)	जन्मतिथि	सेवानिवृति तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	5632	557/88	श्रवण सिंह	15/05/1963	31/05/2023
2.	5446	107/92	सोहन लाल डागा	26/05/1963	31/05/2023
3.	8619	331/92	हनुमान सिंह (दिव्यांग)	06/06/1963	30/06/2023
4.	1574	822/86	राजेन्द्र गोयल	13/07/1963	31/07/2023
5.	1127	DGS/88	श्रीमती अंजुलता शर्मा	24/07/1963	31/07/2023
6.	3231	98/92R	लक्ष्मण राम	11/08/1963	31/08/2023
7.	3147	545/90	कैलाश चन्द्र चौधरी	12/08/1963	31/08/2023
8.	4860	251/89	पुखराज बामनिया	14/08/1963	31/08/2023
9.	2981	525/94	महेन्द्र कुमार सेठी	17/08/1963	31/08/2023
10.	4183	111/92R	अनिल कुमार अग्रवाल	18/08/1963	31/08/2023
11.	4095	252/90	भवानी शंकर शर्मा	24/08/1963	31/08/2023
12.	2270	203/92	राजेन्द्र सिंह	07/11/1963	30/11/2023
13.	2675	577/94	पुखराज चौहान	02/01/1964	31/01/2024
14.	3729	517/90	अनिल वर्मा	01/02/1964	31/01/2024
15.	5675	590/88	सन्तोष कुमार रावत	14/02/1964	29/02/2024
16.	4562	99/92R	भारत भूषण जोशी	03/03/1964	31/03/2024

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

उपरोक्त अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 में से राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारियों के मामलों में आवंटी की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त करना अनिवार्य है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 10.1.2023

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (सेवानिवृत्ति) अलेसे-11/64

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
4. कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्षको प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश के जारी होने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित हो अथवा ऐसी स्थिति हो जो पेंशन को प्रभावित करती हो, तो अविलम्ब इसकी सूचना संबंधित पेंशन कार्यालय तथा इस विभाग को भिजवायें जिससे उचित कार्यवाही की जा सके।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. श्रीसहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय
8. अलेसे-1/11/डीपीसी/जांच शाखा/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


(के.जी.गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)